दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय निदेशक (राजस्व)
वरूणालय फेज-II : करोल बाग : नई दिल्ली-5

कमांक : दि0ज0बो0/निदेशक (राजस्व)/2012/10,508 दिनांक : 05.10..2012

विषय ; दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अपने उपभोक्ताओं के हित में लाभकारी योजनाओं से सम्बन्धित सूचना ।

माननीय मुख्यमंत्री एवं अध्यक्षा, दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2012 को दिल्ली सरकार के विधायकों तथा दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जल बोर्ड के उपभोक्ताओं के हित में निम्न योजनाओं की घोषणा की गई :-

1. घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा पानी के बकाया बिलों का एकमुश्त अथवा दो किश्तों में पूर्ण भुगतान करने पर सरचार्ज की राशि में पूर्ण छूट ।
2. उपभोक्ताओं के पानी के बिल से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण हेतु सभी क्षेत्रीय राजस्व कार्यालयों में शनिवार के अतिरिक्त सभी कार्यदिवसों में अपरान्ह 3.00 बजे से 5.00 बजे तक सुनवाई करना ।
3. द्वितीय शनिवार के अतिरिक्त सभी शनिवारों को विभिन्न क्षेत्रों में पानी के बिलों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई और निवारण के लिए विशेष कैम्प आयोजित करना, इसके लिए क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के आर0 डब्ल्यू0 ए0 तथा जनप्रतिनिधियों से भी कैम्प लगवाने हेतु सम्पर्क करना ।
4. ''विवाद निपटारा समितियॉ'' पानी के बिलों से सम्बन्धित शिकायतों के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय में गठित की गई हैं । ये समितियॉ अधिकतम 15 दिन के अन्दर विवाद के समाधान हेतु उचित निर्णय लेंगी तथा सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगी । यदि उपभोक्ता अपने पानी के बिलों में जमा बकाया राशि के लिए विशुद्ध प्रमाण प्रस्तुत करता है तो उस अवस्था में उपभोक्ता से वर्तमान बिल की राशि बिना सरचार्ज के ली जाएगी, निर्धारित बकाया राशि बिल संशोधन के पश्चात् अधिकतम दो किश्तों में वसूल की जाएगी ।

उपयुर्क्त योजनाएं 8 अक्तूबर, 2012 से 7 दिसम्बर, 2012 तक ही लागू रहेंगी । कैम्प / शिविर की सूची दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट **www.delhijalboard.nic.in** पर प्रत्येक मंगलवार को पूर्वान्ह में तथा सभी क्षेत्रीय राजस्व कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी । आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त योजनाओं के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अवगत कराएं ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इन योजनाओं का लाभ उठा सकें ।

[illegible] 5/X/2012
(ब0 स0 जागीलान)
निदेशक (राजस्व)

EDP/1239
12/x/x11

समस्त दिल्ली जल बोर्ड सदस्य
समस्त संसद सदस्य
समस्त विधानसभा सदस्य
समस्त निगम पार्षद

Sanjay [illegible]

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
२. सदस्य - वित्त

BB (EDP)
for uploading on website

प्रतिलिपि सूचनार्थ व उचित कार्यवाही हेतु:
१. सं० निदेशक (राजस्व) - समस्त
२. समस्त उप निदेशक (राजस्व) / समस्त अधिशासी अभियन्ता (वाटर/सीवर/[illegible])
३. समस्त क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी / अति० क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी
४. अधिशासी अभियन्ता (ई०डी०पी०)